भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मार्गनिर्देश

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क के अधीन राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए मार्गनिर्देश तथा आवेदन पत्र

(कृपया मार्गनिर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़**)**

किसी संगम या भारतीय नागरिकों के निकाय को राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के उद्देश्य से, उस संगम या निकाय को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उपधारा (4) के अधीन अपना संपूर्ण–विवरण तथा राजनीतिक–दलों का पंजीकरण अतिरिक्त विवरण के अधीन पृथक रूप से अतिरिक्त–विवरण प्रदान करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को एक आवेदन (संलग्नक–I पर दिए गए प्रारूप में) प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

2. यह आवेदन दल के लेटर हैड , यदि कोई हो, पर स्वच्छ रूप से टंकित होना चाहिए तथा इसे दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के भीतर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा/व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए । उपरोक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (2) (ख) के उपबन्धों के अधीन कालातीत हो जाएगा । आवेदन पत्र तथा उसके संलग्नकों के समस्त पृष्ठों पर क्रमशः पृष्ठ संख्या अंकित होनी चाहिए ।

3. आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/ जानकारी अवश्य संलग्न होने चाहिए :–

(i) दल का संविधान इस प्रकार निर्मित किया जाए :–

अनुच्छेद **I** – दल का नाम

(धर्म या जाति का नाम निहित नहीं होना चाहिए।)

अनुच्छेद **II** – दल का उद्देश्य

(भारत के संविधान के अनुरूप होना चाहिए।)

अनुच्छेद **III** – दल की सदस्यता

(सभी वयस्क भारतीय नागरिकों के लिए।)

अनुच्छेद **IV** – दल के घटक (संगठनात्मक संरचना)

इनमें से प्रत्येक घटक की शक्तियाँ और प्रकार्य

(निर्णय लेने की शक्ति में लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होना चाहिए न कि निषेधाधिकार की शक्ति।)

इनमें से प्रत्येक घटक के सदस्यों की नियुक्ति का तरीका (और पदावधि) (एक तिहाई से अधिक सदस्यों का नामांकन नहीं किया जा सकता, अवधि निश्चित होनी

चाहिए जो पाँच वर्ष से अधिक न हो, आवधिक निर्वाचन अधिक से अधिक पाँच वर्ष के अन्दर)

अनुच्छेद **V** – दल के पदाधिकारी

इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी की शक्तियाँ और प्रकार्य (निर्णय लेने की शक्ति में लोकतांत्रिक भावना परिलक्षित होनी चाहिए न कि निषेधाधिकार की शक्ति) इनमें से प्रत्येक पदाधिकारी की नियुक्ति का तरीका (और पदावधि) निर्वाचित किया जाना चाहिए, एक तिहाई से अधिक का नामांकन नहीं किया जा सकता, प्रत्येक के लिए नियत अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवधिक निर्वाचन अधिक से अधिक पाँच वर्ष के अन्दर)।

अनुच्छेद **VI** – विवादों के निपटान एवं अनुशासन के नियम।

अनुच्छेद **VII** – <u>कामकाज के संचालन की मूलभूत जानकारी</u>

निर्णय लेने की प्रकियां, बैठकें, बैठक में सदस्यों की न्यूनतम आवश्यक संख्या, नोटिस और निर्णय लिया जाना इत्यादिः

(विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है)

अनुच्छेद **VIII** – दल के कोष एवं लेखे

राजनीतिक गतिविधियों के लिए दल के कोष का उपयोग किया जाना चाहिए, लेखों का प्रोद्भवन प्रणाली में अनुरक्षण किया जाना चाहिये, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पैनल के लेखा परीक्षक द्वारा वार्षिक रूप से संपरीक्षित वार्षिक लेखों को वित्तीय वर्ष समाप्त होने के छः महीने के अन्दर भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करना।

(विवरण अलग से संलग्न किया जा सकता है)।

अनुच्छेद **IX** – दल के संविधान की संशोधन प्रक्रिया।

अनुच्छेद **X** – विलयन, विभाजन और विघटन की प्रक्रिया।

अनुच्छेद **XI** – लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 क (5) के अधीन अनिवार्य प्रावधान।

(ii) आवेदन के साथ एक जाँच–सूची (चैक लिस्ट) (संलग्नक–II), जिसको सभी मदों के समक्ष स्पष्ट उत्तर सहित, प्रस्तुत किया जाए । आवेदन की संबंद्ध पृष्ठ संख्या जहाँ जाँच सूची के किसी मद विशेष का विवरण देखा जा सके, आपके द्वारा अवश्य इंगित किया जाना चाहिए ।

(iii) प्रसरण शुल्क के लिए अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में देय 10,000/– रू० (दस हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट । यह उल्लेखनीय है कि यह प्रसरण शुल्क किसी भी दशा में लौटाया नहीं जाएगा ।

(iv) दल के ज्ञापन/ नियम एवं विनियम/ विनियम/संविधान की एक स्वच्छ टाइप/मुद्रित प्रति जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 (क) की उपधारा (5) के अधीन अपेक्षित अधोलिखित विशिष्ट प्रावधान अक्षरशः समाविष्ट हों :–

.....(दल का नाम) **विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा** । उक्त आवश्यक प्रावधान अनिवार्यतः दल के संविधान के मूल पाठ में इसके एक खण्ड के रूप में सम्मिलित होना चाहिए । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 29 (क) की उपधारा (7) के प्रावधान के अनुसार कोई भी संगम या निकाय एक राजनैतिक दल के रूप में तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन/नियम और विनियम/संविधान की धारा (29)
यथापूर्वोक्त उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं है ।

(v) दल के ज्ञापन/नियम व विनियम/संविधान में दल के आन्तरिक प्रजातन्त्र दल के विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनाव एवं चुनावों की पद्धति, चुनावों की समयावधि, दल के पदाधिकारियों की कार्यावधि और उनके अधिकारों व कर्त्तव्यों और दल की तरह–तरह की प्रतिनिधि समितियों (जैसे कार्यकारी समिति/कार्यकारी परिषद् आदि) के बारे में विशिष्ट प्रावधान होना चाहिए।

(vi) इसके अतिरिक्त संविधान में दल के विलय/विघटन की स्थिति में प्रयुक्त की जाने वाली कार्यवाही दल के संविधान में संशोधन का प्रावधान और दोषी पाए गये सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए। दल के संविधान में दल की सदस्यता के बारे में स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। दल की सदस्यता के सम्बन्ध में कोई विभेद नहीं होना चाहिए।

(vii) संगठन के कम से कम 100 सदस्यों (समस्त पदाधिकारी/कार्यकारी समिति जैसे निर्णय लेने वाले मुख्य अंगों के सदस्यों सहित) के सम्बन्ध में नवीनतम निर्वाचक नामावलियों के उद्धरण जो संबंधित विधान सभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी द्वारा प्रमाणित हो और जिससे सिद्ध हो कि वह पंजीकृत निर्वाचक है। इसके विकल्प

के रूप में सदस्यों के मतदाता पहचान पत्र की राजपत्रित अधिकारी या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

(viii) आवेदक दल के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा उचित रूप से हस्ताक्षरित एक शपथ–पत्र जो प्रथम श्रेणी मेजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/शपथ आयुक्त के समक्ष लिया गया हो कि संगठन का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है (संलग्नक–iii)।

(ix) दल के कम से कम 100 सदस्यों के व्यक्तिगत शपथ–पत्र कि शपथ लेने वाला सदस्य एक पंजीकृत मतदाता है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक दल का सदस्य नहीं है। ये शपथ–पत्र कम से कम 2/–रू० (दो रूपये) मूल्य वर्ग के स्टॉम्प पेपर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष लिए गए हों। ये शपथ–पत्र उन व्यक्तियों के होने चाहिए जिनके सम्बन्ध पैरा (' vi) में दिए गए निर्वाचक नामावलियों के प्रमाणित उद्धरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। (शपथ–पत्र का नमूना संलग्नक –(vi) पर)

(x) दल के पदधारियों तथा सदस्यों जो उपरोक्त मद (vi) व (vii) पर वर्णित हैं की एक पूर्ण सूची प्रस्तुत की जानी चाहिए और निर्वाचक नामावलियों या मतदाता फोटो पहचान–पत्रों की प्रमाणित प्रति तथा व्यक्तिगत शपथपत्र इस सूची के क्रम के अनुसार ही संलग्न किया जाना चाहिए।

(xi) दल के नाम से बैंक खाते का विवरण तथा स्थायी खाता संख्या (पैन), यदि हो, तो वह दिया जाना चाहिए।

(xii) आदेदक दल को, भवन/परिसर जिसमें दल का कार्यालय स्थित है उसके स्वामी से स्टाम्प पेपर पर एक शपथ–पत्र के रूप में एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र, भवन/परिसर के स्वामित्व के प्रमाण जैसे गृहकर रसीद या रजिस्ट्री दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत करना है।

(xiii) आवेदक को स्थानीय निकाय, नगर निगम इत्यादि से इस प्रभाव का एक अनापत्ति प्रमाण–पत्र लगाना होगा कि ऐसे भवन में राजनीतिक दल का कार्यालय स्थापित करनें में उस प्राधिकरण के अधीन नियमों व विनियमनों का कोई उल्लंघन नहीं है।

(xiv) आवेदक दल के मुख्य अंगों के पदधारियों से पृथक शपथ–पत्रों में उनकी परिसंपत्तियों एवं दायित्वों की जानकारी देनी होगी (संलग्न (v) पर प्रारूप संलग्न)

(xv) आवेदक दल के पदधारियों को पिछले तीन वर्षों की दर्ज की गई उनकी आयकर रिर्टन की प्रति प्रस्तुत करनी होगी, यदि वे आयकर दाता हैं। यदि कोई पदधारी आयकर दाता नहीं है, तो उसे अपनी आय का प्रमाणित विवरण देना होगा।

(xvi) दल के पदधारियों से सम्बन्धित पैन कार्ड का विवरण प्रदान किया जाए।

(xvii) आवेदक दल के प्रमुख अंगों के पदधारियों से उनके आपराधिक पूर्ववृत्त (क्रिमनल एंटीसीडेंट) की जानकारी दर्शाता हुआ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। (संलग्न vi पर प्रारूप संलग्न)।

(xviii) आवेदक दल को इसका एक अभिप्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए कि दल के संविधान को दल की साधारण सभा द्वारा अंगीकार किया गया है।

(xix) आवेदक दल को अपने संविधान में यह घोषणा करनी चाहिए कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर आयोग को लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगा।

(xx) आवेदक दल को दल के संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा अपने संविधान में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह दल, किसी भी प्रकार की हिंसा को प्रोत्साहित या उत्तेजित नहीं करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।

(xxi) आवेदक दल, अपने संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि दल के पदधारियों को सभी पदों तथा दल के अंगों के लिए नियत कालावधि पर (संविधान में कम से कम 4 वर्ष में एक बार उल्लेख करना होगा) तथा नियमित निर्वाचन कराएगा।

(xxii) आवेदक दल, अपने संविधान में एक विशिष्ट उपबन्ध के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि संविधान में कोई भी संशोधन दल की साधारण सभा के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(xxiii) दल को अपने संविधान में यह घोषित करना चाहिए कि वह अपने पंजीकरण के पाँच वर्षों के अन्दर निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाने वाले निर्वाचनों में भाग लेगा। (यदि दल लगातार 6 वर्षो तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जायेगा ।)

4. यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि आवेदन संलग्नक–(**ii**) में दी गई जाँच सूची के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण हो। यदि आपके आवेदन में जाँच सूची के अनुसार वांछित/कोई सूचना आपके द्वारा नहीं प्रस्तुत की गई है या गलत प्रस्तुत की गई है तो आपके आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा। अतः यह सलाह दी जाती है कि जाँच सूची को सावधानी पूर्वक भरकर आवेदन के साथ जमा किया जाए।

5. आवेदन उक्त उल्लिखित सभी अपेक्षित विवरणों/दस्तावेजों के साथ दल के गठन की तिथि से 30 दिनों के अंदर आयोग में अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उपरोक्त अवधि के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी आवेदन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क (2)(ख) के उपबंधों के अधीन कालवर्जित होगा तथा उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. आपके द्वारा विधिवत् पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर आपको भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपके आवेदन की प्राप्ति स्वीकृति दी जाएगी जिसमें आपके द्वारा आगे की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन किया जाएगा।

****

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल

के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग,

निर्वाचन सदन, अशोक रोड,

नई दिल्ली–110001.

महोदय,

यह अनुरोध है कि .....(आवेदक दल का नाम) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कर लिया जाए। उक्त धारा 29 क की उप–उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित विवरण और राजनीतिक दलों का पंजीकरण (अतिरिक्त विशिष्टयों की प्रस्तुती) आदेश, 1992 के पैरा 2 के अधीन अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टियाँ निम्न प्रकार हैः–

1. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29क की उप–धारा (4) के अधीन अपेक्षित विशिष्टयाँ :

(क) संगम या निकाय का नाम :

(ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है :

(ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र

और अन्य संसूचनाए भेजी जाएं। :

(घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और

अन्य पदाधिकारियों के नाम :

(ड़) इसके सदस्यों की कुल संख्या

और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां है

तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या :

(च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयां हैं ?

यदि हैं, तो किस स्तर पर :

(छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के

किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों

का प्रतिनिधित्व है ? यदि है, तो ऐसे सदस्य या

सदस्यों की संख्या :

(ज) संगम या निकाय के गठन की तारीख :

2. राजनीतिक दलों का पंजीकरण (अतिरिक्त विशिष्टयों की प्रस्तुति) आदेश, 1992 के पैरा 2 के अधीन अपेक्षित अतिरिक्त विशिष्टयाँ

(क) वे सिद्धांत, जिन पर संगम या निकाय आधारित है :

(ख) वे नीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य, जिनका वह

अनुसरण करता है या अनुसरण करना चाहता है :

(ग) अपने सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा

करने के लिए इसके, कार्यक्रम, कार्य और गतिविधियाँ :

(घ) संगम या निकाय के मुख्य अंगों के नाम, उनके कार्य और

अध्यक्ष का नाम (चाहे जो भी नाम हो), और ऐसे अंगों के

अन्य सदस्य :

(ड़) निर्वाचकों के साथ संगम या निकाय का सम्बन्ध और

जनता से प्राप्त समर्थन जो उसे उपलब्ध हो तथा ऐसे

सम्बन्ध और समर्थन का मूर्त प्रमाण, यदि कोई हो, :

3. पूर्ण रूप से भरी गई जांच सूची, उसमें विहित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ एतद्द्वारा संलग्न है।

दिनाँक :– भवदीय

हस्ताक्षर .....

नाम.....

पदनाम : (दल का महासचिव/

सभापति/अध्यक्ष)

दल की मोहर.....

संलग्नक **II**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाने वाली जाँच–सूची

आवेदन में निम्नलिखित विवरण/दस्तावेज होने चाहिए । आवेदक को जाँच–सूची के प्रत्येक मद के समक्ष यह अवश्य इंगित करना चाहिए कि संबद्ध मद के निर्देशों का पालन किया गया है या नही । किसी भी मद को अपूर्ण नहीं छोड़ा जाना चाहिए । अपूर्ण जाँच–सूची के साथ प्राप्त आवेदन को सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

क्रम सं0	मद	आवेदक की टिप्पणी	सन्दर्भ पृष्ठ सं0
1.	क्या आवेदक दल/संगठन का नाम स्पष्ट रूप से दिया गया है? यह नाम विद्यमान दलों के नाम से स्पष्टतया भिन्न होना चाहिए । साथ ही, दल के नाम का कोई भी भाग धार्मिक, सांप्रदायिक या जातिगत अर्थ लिए हुए नहीं होना चाहिए ।	हाँ / नहीं	
2.	क्या दल के गठन की तिथि अंकों व शब्दों दोनों में दी गई है? (दल के गठन से संबंधित दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए)	हाँ / नहीं	
3.	क्या आयोग को आवेदन दल के गठन की तिथि के 30 दिनों के अंदर भेजा गया है?	हाँ / नहीं	
4.	क्या आवेदन के साथ प्रसरण शुल्क के रूप में 10,000 रू0 का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न किया गया है? (यह डिमांड ड्राफ्ट अवर सचिव भारत निर्वाचन आयोग के पक्ष में दिल्ली में देय होना चाहिए । प्रसरण शुल्क के बिना प्राप्त आवेदन पत्रों का प्रसरण नहीं किया जाएगा ।)		
5.	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (4) के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित विशिष्टियाँ आवेदन में उपलब्ध कराई गई हैं? (क) संगम या निकाय का नाम (ख) वह राज्य जहाँ इसका मुख्यालय स्थित है (ग) वह पता जिस पर इसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं (घ) इसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम (ड.) इसके सदस्यों की कुल संख्या और यदि इसके सदस्यों की श्रेणियां हैं तो प्रत्येक श्रेणी की आंकिक संख्या	 हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं	
	(च) क्या इसकी स्थानीय इकाइयाँ हैं? यदि हैं; तो किस स्तर पर	हाँ / नहीं	
	(छ) क्या संसद या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन में इसके किसी सदस्य या सदस्यों का प्रतिनिधित्व है? यदि है, तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या	हाँ / नहीं	
6.	क्या राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण (अतिरिक्त विशिष्टियों की प्रस्तुति) आदेश, 1992 के पैरा 2 के अधीन अपेक्षित निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्टियाँ आवेदन के		

	साथ पृथक रूप से उपलब्ध कराई गई हैं ? (क) वे सिद्धांत, जिन पर संगम या निकाय आधारित है (ख) वे नीतियां, लक्ष्य और उद्देश्य, जिनका वह अनुसरण करता है या अनुसरण करना चाहता है (ग) अपने सिद्धांतों, नीतियों, लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके कार्यक्रम, कार्य और गतिविधियाँ (घ) संगम या निकाय के मुख्य अंगों के नाम (चाहे जो भी नाम हो) उनके कार्य और अध्यक्ष का नाम (चाहे जो भी नाम हो), और ऐसे अंगों के अन्य सदस्य : (ङ) निर्वाचकों के साथ संगम या निकाय का सम्बन्ध और जनता से प्राप्त समर्थन जो उसे उपलब्ध है, ऐसे सम्बन्ध और समर्थन का मूर्त प्रमाण, यदि कोई हो,	हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं	
7.	क्या दल के मुख्य कार्यकारी ने आवेदन तथा दल के संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं ?	हाँ / नहीं	
8.	क्या संगठन के अध्यक्ष/महासचिव द्वारा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत् रूप से शपथ लेकर एक शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है कि इस दल का कोई भी सदस्य आयोग के पास पहले से रजिस्टर्ड किसी अन्य दल का सदस्य नहीं है तथा कोई घोषित भगोड़ा इस दल का सदस्य नहीं है तथा वे सभी सदस्य जिन्होंने दल के सदस्य के रूप में शपथ ली है उस नोटरी के समक्ष अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया है जिसने शपथ–पत्र सत्यापित किया है?	हाँ / नहीं	
9.	क्या दल के सभी सदस्यों की संख्या (अंकों व शब्दों दोनों में) दर्शायी गई है?	हाँ / नहीं	
10.	क्या कम से कम 100 सदस्यों की निर्वाचक नामावलियों के प्रमाणित उद्धरण (जिसमें पदाधिकारियों/सदस्यों/कार्यकारिणी समिति के सदस्यों सहित) प्रस्तुत किए गए हैं? (उद्धरण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। विकल्पतः, सदस्यों के निर्वाचक फोटो पहचान पत्र की फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रतियां राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत् रूप से अनुप्रमाणित करवाने के उपरान्त ही प्रस्तुत की जानी चाहिए ॥)	हाँ / नहीं	
11.	क्या संस्था के उपरोक्त 100 सदस्यों से 2/– रू० मूल्य वर्ग के स्टैंप पेपर पर लिए गए व्यक्तिगत शपथपत्र, जिस पर प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे, प्रस्तुत कर दिए गए हैं? (शपथ पत्र में सदस्यों को इस सम्बन्ध में पुष्टि करनी चाहिए कि (i) वह आवेदक पार्टी का सदस्य है (पार्टी का नाम उल्लेख करें) (ii) वह किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र का रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक है (निर्वाचन क्षेत्र का नाम देना है) तथा (iii) वह आयोग में पंजीकृत किसी अन्य राजनैतिक पार्टी या जिसका आवेदन आयोग के पास निपटान के लिए लंबित है, का सदस्य नहीं है ।	हाँ / नहीं	
12.	क्या पदाधिकारियों एवं सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत की	हाँ / नहीं	

	गई है तथा निर्वाचक नामावली की प्रमाणित प्रति या मतदाता पहचान पत्र एवं व्यक्तिगत शपथ पत्र, सूची में वर्णित क्रमवार संलग्न हैं ?		
13.	क्या लोकतांत्रिक आधार पर पार्टी की प्रशासनिक व्यवस्था तथा कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में सभी विवरण तथा प्रावधानों सहित पार्टी के संविधान की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर दी गई है? निम्नलिखित की विशेष रूप से जाँच कर लें : (i) क्या पार्टी का संविधान पार्टी की साधारण सभा द्वारा अंगीकृत है तथा क्या कोई इस सम्बन्ध में प्रमाणित दस्तावेजीय प्रमाण संलग्न किया गया है ? (ii) क्या संविधान में निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं ? :– (क) सभी पदों तथा पदाधिकारियों के समयबद्ध नियमित चुनाव (ख) लोकतंत्र, समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षवाद को इसके मूल सिद्धांत घोषित करता है । (ग) यह घोषित करता है कि पार्टी किसी भी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा नहीं देगी और न ही उसमें शामिल होगी । (घ) यह घोषित करता है कि पार्टी पदाधिकारियों के सभी पदों तथा पार्टी के अंगों के लिए समयबद्ध चुनाव (समयावधि को संविधान में विनिर्दिष्ट किया जाएगा पर यह 4 वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य) कराये जाएंगे । (ड.) यह घोषित करता है कि दल अपने पंजीकरण के पांच वर्षों के अंदर निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले चुनाव लड़ेगा तथा उसके पश्चात् चुनाव लड़ना जारी रखेगा (यदि दल लगातार छः वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता तो पंजीकृत दलों की सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा) (च) यह घोषित करता है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पार्टी अपने लेखों की लेखा–परीक्षा चार्टर्ड एकाउन्टेंट से अवश्य करवाएगी तथा इसकी प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 माह के अन्दर निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत करेगी ।	हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं	
14.	क्या पार्टी के मुख्य कार्यपालक ने पार्टी संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को अपने पूर्ण हस्ताक्षर द्वारा अभिप्रमाणित किया है तथा क्या उस पर पार्टी की मुहर लगाई गई है?	हाँ / नहीं	
15.	क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क (5) के अनिवार्य उपबन्ध कि **"दल विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथ–निरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा तथा भारत की प्रभुता, एकता व अखंडता को**	हाँ / नहीं	

	अक्षुण्ण रखेगा ।" को इन्हीं शब्दों में पार्टी संविधान में शामिल किया गया है ?		
16.	क्या सभी मुख्य अंगों (पार्टी की समितियां, परिषदें इत्यादि) के नाम तथा उक्त अंगों के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना प्रस्तुत की गई है ?	हाँ / नहीं	
17.	क्या पार्टी के प्रत्येक अंग तथा पदाधिकारियों के कार्य तथा उनके अधिकारों का उल्लेख है ?(यदि आवेदन प्रस्तुत करते समय किन्हीं अंगों का गठन नहीं किया गया है तो भी पार्टी संविधान में इन सभी अंगों को शामिल किया जाना चाहिए)	हाँ / नहीं	
18.	क्या पार्टी संविधान में इस बात का उल्लेख किया गया है कि केवल वे भारतीय नागरिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त की ली है, पार्टी का सदस्य बनने के पात्र हैं? पार्टी की सदस्यता पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए तथा पार्टी सदस्यता किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक के लिए खुली होनी चाहिए।	हाँ / नहीं	
19.	क्या विभिन्न स्तरों पर संगठनात्मक चुनावों के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान तथा विभिन्न समितियों/पदाधिकारियों की पदावधि (सामान्यतः 4 वर्षो से अधिक नहीं) की सूचना पार्टी संविधान में दी गई है? संविधान में स्पष्ट प्रावधान होने चाहिए कि पार्टी की सभी शीर्ष स्तरीय समितियों तथा प्रतिनिधि निकायों का गठन लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से हो ऐसे निकायों के सदस्यों का नामांकन, यदि प्रावधान हो न्यूनतम होना चाहिए तथा यह समिति/निकाय की कुल संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए ।	हाँ / नहीं	
20	क्या इस सम्बन्ध में स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं कि पार्टी के विभिन्न पदों की चुनाव प्रक्रिया लोकतांत्रिक है (कोई भी पद आनुवंशिक नहीं अथवा स्थायी रूप से रखा गया नहीं होना चाहिए)? क्या पार्टी संविधान इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख करता है कि पार्टी की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक है? क्या उचित स्तर के प्रतिनिधि निकायों में निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुमत के आधार पर है?	हाँ / नहीं हाँ / नहीं हाँ / नहीं	
21.	क्या पार्टी के विलय तथा विघटन की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख किया गया है? (इस प्रकार के महत्तवपूर्ण निर्णय पार्टी के सभी स्तरों पर परामर्श के पश्चात् लिए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए?')	हाँ / नहीं	
22.	क्या दल के संविधान में विशेष उपबन्ध दिया गया है कि संविधान में कोई भी संशोधन दल की सामान्य सभा द्वारा अवश्य स्वीकृत होना चाहिए?	हाँ / नहीं	
23.	क्या दल के संविधान में दोषी पाए गए सदस्यों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई की प्रक्रिया दी गई है?	हाँ / नहीं	
24.	क्या दल के नाम पर बैंक खाता स्थाई खाता संख्या (पैन), यदि कोई हो, का विवरण दिया गया है?	हाँ / नहीं	
25.	क्या जिस भवन में दल का कार्यालय स्थित है, उसके स्वामी की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उस भवन के	हाँ / नहीं	

	स्वामित्व को सिद्ध करने के लिए मूर्त प्रमाण जैसे भवन–कर रसीद या रजिस्ट्री के कागजात की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई है?		
26.	क्या स्थानीय निकाय, म्यूनिसपैलिटी, म्यूनिसिपल कोरपोरेशन आदि से इस आशय का अनापत्ति प्रमाण पत्र कि संबंधित निकाय के नियमों–विनियमों के अधीन उपरोक्त भवन में दल का कार्यालय स्थापित किये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ?	हाँ / नहीं	
27.	क्या दल के संविधान में दल की विभिन्न समितियों परिषदों तथा अन्य प्रतिनिधि निकायों की वैध बैठकों के लिए गणपूर्ति/सबंधित निकायों के न्यूनत्तम 1/3 सदस्य होने संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं ?	हाँ / नहीं	
28.	क्या आवेदक दल के मुख्य अंगों के पदाधिकारियों की ओर से उनकी परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के सम्बन्ध में अलग से शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं ?	हाँ / नहीं	
29.	क्या आवेदक दल के पदाधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों में जमा की गई आयकर–रिटर्न की प्रति, यदि वे आय–कर दाता है, प्रस्तुत की है?	हाँ / नहीं	
30.	यदि वे आयकर दाता नहीं हैं तो क्या उन्होंने अपने आय के स्त्रोत के साथ अपनी आय का प्रमाणित विवरण प्रस्तुत किया है?	हाँ / नहीं	
31.	क्या दल के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में पैन कार्ड का विवरण प्रस्तुत किया गया है ?	हाँ / नहीं	
32.	क्या दल के मुख्य अंगों के पदाधिकारियों द्वारा उनके आपराधिक पूर्ववृत्त से संबंधित सूचना शपथ–पत्र के रूप में प्रस्तुत की गई है ?	हाँ / नहीं	

विशेषः जाँच–सूची के अनुसार सभी विवरणों एवं दस्तावेजों के साथ प्राप्त आवेदन पर कारवाई की जाएगी एवं पूर्ण आवेदन की प्राप्ति के 2 या 3 माह की तर्क सम्मत अवधि के अन्दर आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। यदि इस अवधि में आयोग से कोई पत्र नहीं प्राप्त होता है तो आवेदक को आयोग के सचिवालय में संपर्क करेने की सलाह दी जाती है।

संलग्नक–III

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने के लिए दल के अध्यक्ष या महासचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने वाले शपथ–पत्र का नमूना

मैं .....(अभिसाक्षी) सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ..... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/तथा यह कहता हूँ/कहती हूँ

1. कि मैं .....(कृपया आवेदक दल के नाम का उल्लेख करें) का अध्यक्ष/महासचिव हूँ ।
2. कि इस दल का कोई भी सदस्य भारत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है ।
3. कि कोई घोषित भगोडा इस दल का सदस्य नहीं है ।
4. कि वे सभी सदस्य जिन्होंने दल के सदस्य के रूप में शपथ ली है, उस नोटरी के समक्ष अपने हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लगाया है, जिसने शपथ–पत्र सत्यापित किया है।
5. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं ।

(अभिसाक्षी)

संलग्नक–IV

प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष दल के 100 सदस्यों (सभी पदधारियों समेत) के सम्बन्ध में व्यक्तिगत शपथ–पत्र का नमूना

मैं .....(अभिसाक्षी) सुपुत्र/सुपुत्री श्री .... निवासी ..... एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/तथा यह कहता हूँ/कहती हूँ

1. कि मैं .....(कृपया आवेदक दल के नाम का उल्लेख करें) दल का एक सदस्य हूँ।

2. कि मैं ..... विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र (कृपया निर्वाचन क्षेत्र की क्रम सं0 व नाम लिखें) में एक पंजीकृत निर्वाचक हूँ ।

3. मैं भारत निर्वाचन आयोग के पास पंजीकृत किसी अन्य राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ।

4. मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उक्त तथ्य मेरे सर्वोत्तम ज्ञान व विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है ।

(अभिसाक्षी)

संलग्नक–**V**

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल का पंजीकरण

{ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने के लिए आवेदक दल के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष) द्वारा परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ पत्र}

मैं सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी ..... आयु.....वर्ष ..... निवासी ....हूँ तथा .....(दल का नाम) का ..... (पदनाम) हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ और शपथपूर्वक कहता हूँ/कहती हूँ :–
(जो लागू हो न हो उसे काट दें)

2. कि मेरे स्वयं के तथा मेरे पति/पत्नी तथा आश्रितों की परिसम्पत्तियों (अचल/चल बैंक जमा आदि) का विवरण इस प्रकार है :

(क) चल परिसम्पत्ति के विवरण (मूल्य)

(संयुक्त स्वामित्व के विस्तार को बताते हुए संयुक्त नाम में परिसम्पत्तियों को भी बताना होगा)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1 का नाम	आश्रित–2 का नाम	आश्रित–3 इत्यादि का नाम
1.	नकद					
2.	बैंक, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों में जमा धन राशि					
3.	कंपनियों में बाँड, डिबैन्चर और शेयर					
4.	अन्य वित्तीय साधनों एन.एस. एस.; डाक बचत ; एल.आई.सी. पालिसी आदि ।					
5.	मोटर वाहन (कम्पनी माडॅल आदि का विवरण)					
6.	गहने (भार तथा कीमत का विवरण दें)*					
7.	अन्य परिसम्पत्तियां जैसे दावे की कीमत/ब्याज					

टिप्पणी :सूचीबद्ध कम्पनियों के सम्बन्ध में बाँड/शेयर/डिबेन्चर की कीमत, स्टाक एक्सचेंज की अध्यतन बाजार कीमत के अनुसार तथा गैर सूचीबद्ध कम्पनियों के मामलों में खातों के अनुसार दी जाए ।

* आश्रित से तात्पर्य अभिसाक्षी अभ्यर्थी की आय पर वह व्यक्ति पूर्णतः आश्रित है ।

(ख) अचल परिसम्पत्तियों का विवरण

(टिप्पणीः संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति में संयुक्त स्वामित्व के विस्तार का भी उल्लेख किया जाए।)

क्रम संख्या	विवरण	स्वयं	पति/पत्नी का नाम	आश्रित–1 का नाम	आश्रित–2 का नाम	आश्रित–3 इत्यादि का नाम
1.	कृषि भूमि –स्थिति (स्थितियां) ँ –सर्वेक्षण संख्या –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार कीमत					
2.	गैर कृषि भूमि –स्थिति (स्थितियां) ँ –सर्वेक्षण संख्या –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
3.	भवन (व्यवसायिक और आवासीय) –स्थिति (स्थितियां) ँ –सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
4.	मकान/अर्पाटमेन्ट आदि –स्थिति (स्थितियां) ँ –सर्वेक्षण/दरवाजा नम्बर –विस्तार (कुल माप) –वर्तमान बाजार मूल्य					
5.	अन्य (सम्पत्ति से ब्याज आदि)					

3. मैं, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं और सरकारी देनदारियों को बकाया अपनी देयताओं/अति देयताओं का विवरण नीचे दे रहा हूँ :–

(टिप्पणीः कृपया प्रत्येक मद के लिए अलग विवरण दें)

क्रम संख्या	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों) विभाग (विभागों) का नाम और पता	दिनांक ..... को बकाया राशि
क (1)	बैंक से ऋण		
(11)	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
(111)	सरकारी देयताएँः– (क) सरकारी आवास से संबंधित विभाग की देयताएँ (ख) जल–आपूर्ति विभाग की देयताएँ (ग) विद्युत–आपूर्ति विभाग की देयताएँ (घ) दूर–संचार विभाग की देयताएँ (ङ) सरकारी परिवहन (हवाई जहाज एवं हेलिकॉप्टर सहित)विभाग की देयताएँ (च) अन्य देयताएँ, यदि कोई हो		

क्रम संख्या	विवरण	बैंक/वित्तीय (संस्थान/संस्थानों) विभाग (विभागों) का नाम और पता	दिनांक ..... को बकाया राशि
ख (1)	स्थाई खाता संख्या (PAN)		
(11)	पिछले कर निर्धारण वर्ष की आय–कर रिटर्न		
(111)	पिछले कर–निर्धारण वर्ष की सम्पत्ति–कर रिटर्न		
(1v)	पिछले वित्तीय वर्ष की बिक्री–कर रिटर्न (केवल स्वामित्विक व्यवसाय के लिए)		
(v)	पिछले वित्त–वर्ष का सम्पदा कर (Property Tax)		

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं, उपर्युक्त नाम का अभिसाक्षी, इसके द्वारा यह सत्यापित करता हूँ/करती हूँ, और यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस शपथ पत्र की विषय वस्तु मेरे विश्वास और जानकारी में सत्य और सही है और इस का कोई भी भाग गलत नहीं है और कुछ भी महत्वपूर्ण इसमें छिपाया नहीं गया है ।

वर्ष .....200.....के.....दिन को .....स्थान पर सत्यापित

अभिसाक्षी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 क के अधीन राजनीतिक दल का पंजीकरण
{ प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट/शपथ आयुक्त/नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ लेने के लिए आवेदक दल के पदाधिकारियों (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष) द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र}

मैं,..... पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... आयु.....वर्ष, जो ..... का/की निवासी हूँ तथा .....(दल का नाम) का ..... (पदनाम) हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथपूर्वक कहता हूँ।/कहती हूँ :–
(जो लागू हो न हो उसे काट दें)

1. मैं किसी भी अपराध के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हूँ/गई हूँ अथवा मुझे नीचे दिये गये विवरणानुसार निम्नलिखित मामलों में दोषी पाया गया है :

(i) मामला /प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं .....

(ii) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा दोषी पाए जाने संबंधी आदेश पारित किया गया ।

(iii) पुलिस थाना (थाने) .... जिला (जिले) ..... राज्य

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभिसाक्षी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे .....

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई हैं/है .....

2. मेरे विरूद्व किसी भी न्यायालय में कोई भी मामला लंबित नहीं है ।

अथवा

मेरे विरूद्व नीचे दिये गये विवरणानुसार निम्नलिखित मामला/मामले लंबित है/हैं जिनका संज्ञान न्यायालय द्वारा लिया गया है :

(i) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है :

(ii) न्यायालय जिसने संज्ञान लिया :

(iii) वाद संख्या :

(iv) संज्ञान लेने के न्यायालय के आदेश की तारीख :

(v) संज्ञान लेने वाले उपरोक्त आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षा आदि, यदि कोई हो, के लिए दायर की गई अपील/अपीलों, आवेदन/आवेदनों का विवरण :

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथपत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोइ तात्विक बात छिपायी नहीं गई है ।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर